

**मुख्य अभियंता का कार्यालय
योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन
जल संसाधन विभाग, राँची**

पत्रांक: 2/पी.एम.सी./कार्य-132/2007/...../राँची, दिनांक:
प्रेषक,

ई. अशोक कुमार,
मुख्य अभियंता।

FAX

E-mail

Web site

notice

सेवा में,

मुख्य अभियंता,

जल संसाधन विभाग, याँत्रिक, राँची/ निदेशक, भू-गर्भ जल निदेशालय, राँची।

विषय: परिक्षेत्रवार योजनाओं की माह नवम्बर की समीक्षा बैठक।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक-2/PMC/कार्य-713 दिनांक-05.11.2012

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक- 09.11.2012 में निर्धारित बैठक पुर्ननिर्धारित करते हुए दिनांक- 29.11.2012 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आयोजित की जाती है।

वेब मैनेजर, वेबसाईट, जल संसाधन विभाग, राँची इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर "What's new" (News & Events) में upload करेंगे।

विश्वासभाजन

६०/-

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता

पत्रांक: 2/पी.एम.सी./कार्य-132/2007/...../राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-I/II, जल संसाधन विभाग, राँची /मुख्य अभियंता (मो.)/सभी अधीक्षण अभियंता (मो.)/सभी संयुक्त सचिव/सभी उपसचिव/सभी कार्यपालक अभियंता (मो.), सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी अवर सचिव उनके अधिनस्थ लम्बित मामलों की सूची तैयार कर लें एवं बैठक के दिन सूची के साथ उपस्थित रहें।

६०/-

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता

पत्रांक: 2/पी.एम.सी./कार्य-132/2007/...../राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि: परामर्शी- I/II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक में भाग लेंगे।

६०/-

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता

पत्रांक: 2/पी.एम.सी./कार्य-132/2007/...../राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि: उप सचिव मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। उक्त तिथियों को सभागार की सुव्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

६०/-

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता

पत्रांक: 2/पी.एम.सी./कार्य-132/2007/...../राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि: माननीय उप मुख्य, (जल संसाधन) मंत्री झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

६०/-

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता

पत्रांक: 2/पी.एम.सी./कार्य-132/2007/...../राँची, दिनांक: 07/11/12

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, वेबसाईट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचना एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६०/-

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता